**संख्या-84/2016/1138/41-16-32 यो0/2014**

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 06 जुलाई, 2016

**विषय- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद कन्नौज में मेंहदी घाट के पर्यटन विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-478/6-1-1(541)/2014, दिनांक 28-06-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद कन्नौज में मेंहदी घाट के पर्यटन विकास हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 यूनिट-27, कन्नौज द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त रू0 1900.47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश सं0 34/2015/3166/41-2015-32 यो0/2014 दिनांक 12.03.2015 द्वारा प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत योजना हेतु 07-जनपद कन्नौज में काली नदी एवं गंगा नदी के संगम स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-111/2015/1627/41-15-32 यो0/2014 दिनांक 27.07.2015 द्वारा प्रदान की जा चुकी है/

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कन्नौज में मेंहदी घाट के पर्यटन विकास हेतु 07-जनपद कन्नौज

http://shasanadesh.up.nic.in

में काली नदी एवं गंगा नदी के संगम स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद में प्राविधानित धनराशि तृतीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुये किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा कि उक्त योजना का कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है, और न वर्तमान में किसी योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को_ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(8) योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-07-जनपद कन्नौज में काली नदी एवं गंगा नदी के संगम स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

**संख्या-84/2016/1138(1)/41-2016 तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, कानपुर ।
4- जिलाधिकारी, कन्नौज।
5- महाप्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, आगरा।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, कानपुर।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब- साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://srasamadesh.up.nic.in